न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर।

CNR UPSP040167452026

मु0अ0सं0 65/2026
अन्तर्गत धारा 74, 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0
थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

आदेश

18–03–2026

मु0अ0सं0 65/2026 अन्तर्गत धारा 74, 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त **रामकुमार पुत्र बाबुराम, श्याम कुमार पुत्र बाबुराम, सोमपाल पुत्र इमरत, अतुल पुत्र जगपाल** न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूंठा फसाया गया है।

अभियोजन पक्ष की आख्यानुसार अपराध अजमानतीय प्रकृति के है, जमानत पर विरोध किया गया है।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है। प्रश्नगत मामले में थाना हाजा की वांछित आख्या अनुसार रामकुमार पुत्र बाबुराम, श्याम कुमार पुत्र बाबुराम, सोमपाल पुत्र इमरत, अतुल पुत्र जगपाल मु0अ0सं0 65/2026 अन्तर्गत धारा 74, 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर में वांछित अभियुक्तगण है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को **20–20 हजार रूपये** के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के **दो–दो जमानती** दाखिल करने पर दौरान वाद उन्हें जमानत पर **अवमुक्त किया जाता है।**

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
सहारनपुर।
जे0ओ0 कोड UP 3203